31/05/24 पत्रावली पेश हुई। राज पैरोकार उपस्थित।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व राज पैरोकार की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का कोटबालियान को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

Received
मिल कि।
TDR बाली
3/6/24

सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 20/2012 GCMS NO: 2012/00240
तारीख दर्जः–16.03.2012
निर्णय दिनांकः– 31-05-24

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली		

1. नरेन्द्रसिह पुत्र लादुसिह जाति- राजपुत सा. अलसीसर. कोठी जगतपुरा.जयपुर खातेदार
2. अशोककुमार पुत्र बस्तीमल जाति- जैन निवासी कोटबालियान
3. एजीबाई पत्नि नेमाचौधरी जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
4. ओटीबाई पत्नि वगताराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
5. कन्यादेवी पत्नि कीकाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
6. कमला पत्नि मोहनलाल जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
7. कालुराम पुत्र समाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
8. किरणकुमार पुत्र बस्तीमल जाति- जैन निवासी कोटबालियान
9. नाबालिग किशनकुमार पुत्र डुंगाराम संरक्षक पिता डुंगाराम पुत्र सदाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
10. कीकाराम पुत्र जगताराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
11. कीकाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवाल निवासी कोटबालियान
12. गणेशकुमार पुत्र वगताराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
13. गोमाराम पुत्र दुदाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
14. चुन्नीदेवी पत्नि पीथाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
15. चुन्नीलाल पुत्र भेराराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
16. जगाराम पुत्र नेमाराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
17. जीवी पत्नि पुराराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
18. जोधा पुत्र रामा जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
19. झमुबाई पुत्री चेनाराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
20. टीपु पत्नि नेमाराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
21. डुंगाराम पुत्र नेमाराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
22. तीजोबाई पत्नि वरदाराम जाति मेगवाल निवासी कोटबालियान
23. दिलीपकुमार पुत्र बस्तीमल जाति- जैन निवासी कोटबालियान
24. अध्यक्ष वरदाराम पुत्र दरगाराम जाति- मेगवाल अ.विव.- रामदेव.विकास.सेवा.समिति.कोट.बालियान
25. पना पुत्र दला जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
26. पुना पुत्र रामा जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
27. प्रतापराम पुत्र नेमाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
28. पुष्पा पत्नि शंकरलालसोलंकी जाति मेगवाल निवासी कोटबालियान

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार....................02

राजस्व प्रकरण GCMS NO: 2012/00240

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम नरेन्द्रसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

29. पुष्पा पुत्री बगताराम जाति- सीरवी निवासी कोटबालियान
30. पुष्पादेवी पत्नि हरीलाल जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
31. बंशीलाल पुत्र भीमाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
32. बाबुलाल पुत्र भीकारामबावल जाति- मेगवाल कोटबालियान
33. भुराराम पुत्र नेमाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान
34. भूरीबाई पत्नि चेनाराम- सीरवी कोटबालियान
35 भवरलाल पुत्र हकाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
36. मधु पत्नि केवलचन्द जाति- जैन निवासी कोटबालियान
37. मुलीबाई पत्नि पुनाराम जाति- मेगवाल सा.शिवतलाव खातेदार
38. माँगीलाल पुत्र देवाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
39. मांगीलाल पुत्र खीमाराम जाति- मेगवाल निवासी कोटबालियान
40. मालाराम पुत्र केसाराम जाति- जणवा सा. पुनाडिया खातेदार
41. मीठालाल पुत्र बस्तीमल जाति- जैन कोटबालियान
42. मोटा पुत्र रामा जाति- मेगवाल कोटबालियान
43. मोडाराम पुत्र नेमा जाति- सीरवी कोटबालियान
44. रकमो पुत्री नेमाराम जाति- सीरवी कोटबालियान
45. रुपाराम पुत्र ओखारामसोलंकी जाति- मेगवाल कोटबालियान
46. रुपाराम पुत्र चेनाराम जाति- सीरवी कोटबालियान
47. रमेशकुमार पुत्र देवारामबावल जाति- मेगवाल कोटबालियान
48. वेनाराम पुत्र केसाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान
49. वरजु पुत्री नेमाराम जाति- सीरवी कोटबालियान
50. वरजु पत्नि ओटाराम जाति- सीरवी कोटबालियान
51. वरदाराम पुत्र नेमाराम जाति- सीरवी कोटबालियान
52. वरदाराम पुत्र लालाराम जाति- मेगवाल सा.शिवतलाव
53. विनोदकुमार पुत्र कलाराम जाति मेगवाल सा.शिवतलाव
54. विमला पत्नि महेन्द्र जाति- मेगवाल कोटबालियान
55. वीरमाराम पुत्र मुलाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान
56. सकाराम पुत्र वागाराम जाति- मेगवाल सा.शिवतलाव
57. सुकीदेवी पत्नि मोहनलालबावल जाति- मेगवाल कोटबालियान
58. सुकीबाई पत्नि मनारामबावल जाति- मेगवाल कोटबालियान
59. सुखीबाई पत्नि दानाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

पेज लगातार.....................03

राजस्व प्रकरण GCMS NO: 2012/00240

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम नरेन्द्रसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

60. सुगनादेवी पत्नि नरसिह् जाति- मेगवाल कोटबालियान
61. हरीश पुत्र रामा जाति- मेगवाल कोटबालियान अ.विव.- रामदेव विकास.सेवा.समिति.कोट.बालियान.
62. गणेशराम पुत्र वरदाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान अ.विव.- रामदेव.विकास.सेवा.समिति.कोट.बालियान.
63. ताराचंद पुत्र सकाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान अ.विव.- रामदेव.विकास.सेवा.समिति.कोट.बालियान
64. सुरेन्द्रकुमार पुत्र मोहनलाल जाति- मेगवाल कोटबालियान
65. सुरेशकुमार पुत्र वगताराम जाति- सीरवी कोटबालियान
66. हंजाकुमारी पुत्री वक्ताराम जाति- मेगवाल कोटबालियान
67. हरजीराम पुत्र सुरजाराम जाति- मेगवाल कोटबालियान
68. हुलासीबाई पत्नि बस्तीमल जाति- जैन कोटबालियान
69. हीरीबाई पुत्री चेनाराम जाति- सीरवी कोटबालियान

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 31-05-24**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 853 रकबा 0.62 है0 किस्म चा.प्र.जा.प्र, खसरा नंबर 855 रकबा 0.47 है0 चा.प्र.जा.प्र., खसरा नंबर 856 रकबा 0.44 है0 किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नंबर 859 रकबा 0.73 है0 किस्म चा.प्र.जा.प्र कुल रकबा 2.26 हैक्टेयर मौजा कोटबालियान में स्थित है। उक्त अराजी का प्रार्थी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 69 वादग्रस्त अराजी के खातेदार काश्तकार है। यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 69 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वाद पत्र को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर आबादी प्लॉट काटकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं, जिसका अप्रार्थीगण को हक नहीं है। अप्रार्थीगण ने कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थीगण को भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 16.08.2011 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने तहसीलदार बाली के आदेशानुसार ग्राम कोटबालियान का भ्रमण कर सर्वे किया तब अप्रार्थीगण द्वारा भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से गैर कृषि कार्यों के रूप में उपयोग करते पाए गए। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। वाद प्रार्थी मय शपथ–पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी विरुध अप्रार्थी डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाए तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द–बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी. एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

पेज लगातार....................04

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

राजस्व प्रकरण GCMS NO: 2012/00240

ान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम नरेन्द्रसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 69 की ओर से वकालातनाम पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2017 को पेश किया। दिनांक 13.05.2017 को हल्का पटवारी बयान कलमबद्ध किये गये। तहसीलदार कार्यालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को नवीन मौका रिपोर्ट पेश की। एकपक्षीय बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार, बाली की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेज, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार बाली द्वारा पेषित नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 व हल्का पटवारी के बयानों तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा सं. 853 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा सं. 855 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा सं. 856 रकबा 0.44 हैक्टर व खसरा सं. 859 रकबा 0.73 हैक्टर मौजा कोट बालियान, जिसकी किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल है अर्थात् कृषि योग्य भूमि है। उक्त खसरो का कुल रकबा 2.26 हैक्टर है, में से 1/3 भाग पर दिनांक 16.08.2011 व 12.05.2017 को मौका रिपोर्ट में संलग्न नक्शें में दर्शित लाल रंग पर दिखाये गये भाग पर भुखण्ड काटकर आवासीय प्रयोजनार्थ में उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त चारों खसरों में 1/3 भाग का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये व बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये मौके पर प्लॉटिंग आदि करके आवासीय मकान बना-रहते है। इसकी पुष्टि अप्रार्थीगण के जवाब से भी होती है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट स्वीकार किया है कि सन् 2006 में खातेदार श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत से जरिये विक्रय विलेख के भुखण्ड(प्लॉट) खरीद किये थे। उक्त भुखण्डो पर ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा मकान/भवन निर्माण की स्वीकृती दी गई थी तथा निर्मित मकानों में अप्रार्थीगण के परिवार निवास करते है। उक्त कॉलोनी में 95 प्रतिशत से अधिक पक्के मकान बने हुए है। अप्रार्थीगण को अपने घरों में विधुत व जल सुविधा उपलब्ध है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि आवासीय प्लॉट प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं तथा वह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता राजस्थान सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत कोट बालियान तहसील बाली के खसरा सं. 853 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा सं. 855 रकबा 0.47 हैक्टर किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम, खसरा सं. 856 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल व खसरा सं. 859 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम कुल रकबा 2.26 हैक्टर में से कार्यालय तहसील बाली द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2011 व 12.05.2017 में वर्णित कुल रकबा 2.26 हैक्टर के 1/3 भाग/हिस्से अर्थात् 0.75 हैक्टर भूमि संलग्न नक्शें में बरंग लाल रंग में दर्शित भूमि में अप्रार्थीगण खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र लादुसिह वगैरह (अप्रार्थी सं. 01 से 69) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण सं. 01 से 69 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2011 के संलग्न नजरी नक्शा को इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। इसी कदर पर्चा जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली